



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1940 (श10)

(सं0 पटना 606) पटना, सोमवार, 25 जून 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 जून 2018

संशोधित सूची

सं0 15/वैट अंकेक्षण/विविध-09/2017-1805—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उपधारा (2) एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना सं0 856, दिनांक 26.03.18 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि हेतु वैट अंकेक्षण के लिए चयनित व्यवसायियों की सूची प्रकाशित है। नियमावली के नियम 22(1)(ग)(i) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में कतिपय व्यवसायियों द्वारा अपने चयन के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गयी है। तदनुसार नियम 22(1)(ग)(ii) के तहत दाखिल आपत्ति के आधार पर विचार करने के उपरान्त आयुक्त निम्नलिखित व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम चयनित वैट अंकेक्षण सूची से मुक्त करने का आदेश करते हैं:-

क्र०	व्यवसायी का नाम	अंचल का नाम	टिन नं०
1.	सर्वश्री श्री ज्वेलर्स	भागलपुर अंचल	10520444043

पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 856, दिनांक 26.03.18 इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

25th June 2018**Revised List**

No- 15/VAT Audit/vividh-09/2017-1805—The list of dealers Selected for VAT Audit under section 26 (2) of Bihar Value Added Tax 2005, read with Rule 22(1) of Bihar Value Added Tax Rule 2005, has already been published by Notification No. 856 dated 26-03-2018. Some of the dealers out of that list have filed objection against their selection in view of the provisions made under Rule 22(1)(c)(i).After Considering the grounds given by the dealers objecting their selection for VAT Audit, the Commissioner under Rule 22(1)(c)(ii)orders to remove the following dealer from the list earlier published :-

S.I	Name of Dealer	Name of Circle	TIN
1.	M/S Shree Jewellers	Bhagalpur	10520444043

The Notification No. 856 dated 26-03-2018 shall accordingly be considered revised to this extent.

By Order,
S/d-Illegible,
Commissioner-cum- Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 606-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>